भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2593

16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: केरल रूट विल्ट रोग से प्रभावित नारियल के बागान

2593. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में नारियल के बागानों को प्रभावित करने वाले केरल रूट विल्ट रोग के गंभीर प्रकोप की जानकारी है, और यदि हां, तो प्रभावित क्षेत्र की सीमा और अनुमानित नुकसान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नारियल पाम बीमा योजना या कोई अन्य फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल पाम बीमा योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार विगत पांच वर्षों के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या कितनी है, कितने दावे निपटाए गए तथा कुल कितनी निधि संवितरित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने रोग निगरानी को मजबूत करने, वित्तीय राहत प्रदान करने और प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधी नारियल किस्मों को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार का नारियल किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए कब तक ऐसे हस्तक्षेप शुरू करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हाँ, भारत सरकार को तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में नारियल के बागानों को प्रभावित करने वाले केरल रूट विल्ट रोग के गंभीर प्रकोप की जानकारी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी (राजक्कमंगलम, तिरुवत्तर, कुरुंथनकोड ब्लॉक), तेनकासी (तेनकासी, कडायनल्लूर, कडायम, शेनकोट्टा ब्लॉक), थेनी (कुंबम, उथमपालयम ब्लॉक) और कोयंबटूर (पोल्लाची उत्तर, पोल्लाची दक्षिण और अनाइमलाई ब्लॉक) जिलों में नारियल का रूट विल्ट रोग एक गैर-घातक और उत्पादकों को कमजोर बनाने वाला रोग है। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले से इस बीमारी की लगभग 15%-19% घटनाएं सामने आईं और यह बीमारी इस क्षेत्र में 1980 से ही ज्ञात है।

(ख) एवं (ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के माध्यम से, राज्य सरकार और भारतीय कृषि बीमा कंपनी के सहयोग से, नारियल पाम के लिए फसल बीमा योजना - नारियल पाम बीमा योजना - कार्यान्वित कर रहा है, ताकि प्राकृतिक और अन्य जोखिमों के विरुद्ध नारियल पाम का बीमा किया जा सके और पेड़ों के नुकसान/मृत्यु की स्थिति में किसान को मुआवजा दिया जा सके।

यह योजना प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में कृषि बीमा कंपनी और संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

पाम्स अंडर एज ग्रुप	बीमा राशि प्रति पाम (रु.)	प्रीमियम प्रति पाम (रु.)	सीडीबी शेयर प्रति पाम (रु.)	राज्य का शेयर प्रति पाम (रु.)	प्रति पाम किसान का शेयर (रु.)
4 -15 वर्ष	900.00 रुपये	9.00 रुपये	4.50 रुपये	2.25 रुपये	2.25 रुपये
16- 60 वर्ष	1750.00 रुपये	14.00 रुपये	7.00 रुपये	3.50 रुपये	3.50 रुपये

इस योजना के तहत, तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों में 446 किसानों का बीमा किया गया है और 12 किसानों को कुल 1,16,678 रुपये का दावा भुगतान किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से फसल के नुकसान/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए खरीफ 2016 से मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यान्वित की गई है। यह उल्लेख किया गया है कि नारियल के बागान आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तमिलनाडु राज्य सरकार पिछले पांच वर्षों से इस योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(घ) एवं (ङ): हाँ, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश भर में अपने 47 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएम) एवं टिड्डी-सह-सीआईपीएमसी (एलसीआईपीएमसी) के माध्यम से कीट स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित सर्वेक्षण करता है, रासायनिक कीटनाशकों के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) तकनीकों को बढ़ावा देता है। त्रिची स्थित सीआईपीएमसी के तहत एक समन्वय केंद्र नारियल अनुसंधान केंद्र-अलियारनगर (टीएनएयू), अखिल भारतीय समन्वित वृक्षारोपण फसल अनुसंधान परियोजना, आईसीएआर-सीपीसीआरआई तमिलनाडु में रूट (विल्ट) रोग के प्रसार की व्यवस्थित रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि शीघ्र इसका पता लगाया जा सके और उचित प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, नारियल उत्पादन क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान करने और तमिलनाडु में रूट रोग (विल्ट) पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रबंधन कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए सीडीबी, आईसीएआर-सीपीसीआरआई, तमिलनाडु सरकार के बागवानी और बागान फसल विभाग, आईसीएआर-राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (एनबीएआईआर), तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार, तमिलनाडु में जड़ रोग (विल्ट) से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण पूरा हो चुका है और रोग की रोकथाम एवं उन्मूलन के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सीडीबी ने पिछले 10 वर्षों में 134.86 करोड़ रुपये खर्च करके 27361.61 हेक्टेयर क्षेत्र में पुनर्रोपण एवं कायाकल्प योजना को कार्यान्वित किया है।

किसानों को नारियल के गुणवत्तापूर्ण पौध (सीड्लिंग्स) उपलब्ध कराने और वितरित करने के उद्देश्य से सीडीबी ने तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के उडुमेलपेट के ढाली गांव में अपना एक फार्म स्थापित किया है। पिछले 10 वर्षों में 7.34 लाख पौध तैयार किए गए हैं और तमिलनाडु के किसानों को वितरित किए गए हैं। सीडीबी ने राज्य सरकार के पास उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए 65.81 लाख पौध तैयार करने में भी सहायता प्रदान की है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, तमिलनाडु में विभिन्न योजनाओं के लिए 38.98 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 12.91 करोड़ रुपये 5000 हेक्टेयर में नारियल आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से उत्पादकता सुधार योजना को कार्यान्वित करने के लिए, 15.20 करोड़ रुपये 2000 हेक्टेयर में पुनर्रोपण और कायाकल्प योजना को कार्यान्वित करने के लिए, 6.85 करोड़ रुपये नारियल के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार के लिए और 4.02 करोड़ रुपये बोर्ड की अन्य चल रही योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

******